रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 7—जुलाई 13, 2012 (आषाढ़ 16, 1934)

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 7—JULY 13, 2012 (ASADHA 16, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

(गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग)

मुंबई-400005, दिनांक 11 मई 2012

सं. गैबैंपवि.(नी.प्र.)243/मुमप्र (यूएस)-2012--भारतीय रिज़र्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश 2007 को संशोधित करना आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ट और 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश में विनिर्दिष्ट 31 जनवरी 1998 का अधिसूचना डीएफसी. 118/डीजी (एसपीटी)-98 को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है यथा :--

पैराग्राफ-4 में संशोधन

पैराग्राफ-4, उप पैराग्राफ (1) खण्ड (ii) के टेबल में, मद (घ) के बाद एजेंसी के नाम में ब्रिक्वर्क रेटिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (ब्रिक्वर्क) जोड़ा जाए तथा न्यूनतम निवेश ग्रेड निर्धारण में बीडब्ल्यू आरएफए जोड़ा जाए।

उमा सुब्रमणियम
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

सं. गैबैंपवि.(प्र.नी.)244/मुमप्र (यूएस)-2011-12--भारतीय रिज़र्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से 22 फरवरी 2007 का अधिसूचना सं. डीएनबीएस. 193/डीजी(वीएल)-2007 में अंतविष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां नहीं स्वीकारने या नहीं धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश 2007 (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) को संशोधित करना आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ञक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश

देता है यथा :--

पैराग्राफ-19ए में संशोधन

मौजूदा क्लॉज (iii) को निम्नलिखित से स्थानापन्न किया जाए यथा,

"(iii) न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग ''ए'' या सीआरआईएसआईएल (क्रिसिल), एफआईटीसीएच (फिच), सीएआरई (केयर), आईसीआरए (इक्रा), ब्रिक्वर्क रेटिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (ब्रिक्वर्क) के समतुल्य रेटिंग या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रदत्त समतुल्य रेटिंग प्राप्त करनी होगी।''

उमा सुब्रमणियम
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

सं. गैबैंपवि.(नीप्र)245/सीजीएम (यूएस)-2012--भारतीय रिज़र्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से कोर निवेश कंपनियां (रिजर्व बैंक) निदेश, इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा, को संशोधित करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45जक, 45 ट, 45ठ 3 और 45ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है यथा :--

भाग II में पैराग्राफ (1) के अधीन एक नया पैराग्राफ (4) को निम्नानुसार जोड़ा जाए :--

भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण की छूट प्राप्त करने वाली प्रत्येक कोर निवेश कंपनी को एक बोर्ड संकल्प पास करना होगा कि भविष्य में यह सार्वजनिक निधियों तक अभिगमन नहीं करेंगी। तथापि कोर निवेश कंपनियों को उनके द्वारा अथवा उनके ग्रुप संस्थाओं की तरफ से लिये गये अन्य आकस्मिक देनदारियों पर गारंटी जारी करने की आवश्यकता है ऐसा करने के पूर्व, कोर निवेश कंपनियां यह अवश्य सुनिश्चित करें कि इसके तहत जब और जैसे कोई दायित्व उत्पन्न होगी वे इसे पूरा करेंगी। विशेष रूप से, कोर निवेश कंपनियां, जिन्हें पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है उन्हें सार्वजनिक निधियों के आश्रय के बगैर देनदारी के अंतरण की स्थिति के लिए आवश्यक रूप से तैयार रहना होगा, अन्यथा सार्वजनिक निधियों तक अभिगमन के पूर्व उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण के लिए अनुरोध करना होगा। रु. 100 करोड़ से अधिक परिसंपत्ति वाली अपंजीकृत कोर निवेश कंपनी यदि भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किये बगैर सार्वजनिक निधियों तक अभिगमन करती है तो इसे 05 जनवरी 2011 का कोर निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2011 के उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा।

उमा सुब्रमणियम
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2012

सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश. 5/सीएमडी/2012--राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 के 53) की धारा 30ए द्वारा प्रदत्त एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने देश के लाभार्थ आवास वित्त प्रणाली को विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2010 (अब के बाद जिन्हें मूल निर्देश संदर्भित किया जाएगा) में, इसके अतिरिक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, यथा :--

1. अनुच्छेद 30 में संशोधन

मूल निर्देश के अनुच्छेद 30 में, व्याख्या में, मद सी के लिए उप व्याख्या में निम्नलिखित से प्रतिस्थापित समझा जाएगा, यथा :--

''ग) अन्य आवास ऋण 100

''सूचना : उपर्युक्त मद बी) एवं सी) हेतु संदर्भित आवास ऋणों के किसी भी अंश को छोड़कर, ऐसे आवास ऋण जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मोर्टगेज गारंटी कंपनी के लिए बनाए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकृत मोर्टगेज गारंटी कंपनी द्वारा गारंटीकृत हों।

''(सीए) उप व्याख्या (3) की मद बी) एवं सी) हेतु संदर्भित आवास ऋण का कोई भी अंश भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एक मोर्टगेज गारंटी कंपनी के द्वारा गारंटीकृत हों, ऐसे गारंटीकृत अंश हेतु जोखिम भारित आस्ति का परिकलन निम्नांकित मोर्टगेज गारंटी कंपनी के सामने अंकित % भार के अनुसार किया जाएगा :--

मूल निर्देश के अनुच्छेद 3 में, अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के द्वारा मोर्टगेज गारंटी कंपनी की दीर्घकालीन रेटिंग्स हेतु संदर्भित किया गया है	
ए ए ए	20
ए ए	30
ए ए से कम अथवा गैर रेटिंग कृत	गारंटी रहित अंश हेतु यथा प्रयोज्य

जहां रेटिंग हेतु '+' या '-' अंकन संलग्न है, वहां संगत मुख्य रेटिंग श्रेणी जोखिम भार को प्रयुक्त किया जाना चाहिए।

जब एक गारंटीकृत ऋण जोखिम प्रयोज्य निर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, एक ऋण जोखिम प्रशामक के रूप में गारंटी समाप्त हो जाएगी और इस प्रावधान के तहत् कोई भी समायोजन अनुमत नहीं होगा।

2. अनुच्छेद II में संशोधन

मूल निर्देश की अनुसूची II, खंड डी में,

(क) मद वर्णन के बाद III (जी) में दिए गए मद कोड एवं जोखिम भार में, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, यथा :

(सीए) उप व्याख्या (3) की मद बी) एवं सी) हेतु संदर्भित आवास ऋण का कोई भी अंश भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एक मोर्टगेज गारंटी कंपनी के द्वारा गारंटीकृत हों, ऐसे गारंटीकृत अंश हेतु जोखिम भारित आस्ति का परिकलन निम्नांकित मोर्टगेज गारंटी कंपनी के सामने अंकित % भार के अनुसार किया जाएगा : मूल निर्देश के अनुच्छेद 3 में, अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के द्वारा मोर्टगेज गारंटी कंपनी की दीर्घकालीन रेटिंग्स हेतु संदर्भित किया गया है				
ए ए ए	239(i)		20	
ए ए	239(ii)		30	
ए ए से कम अथवा गैर रेटिंग कृत	239(iii)		गारंटी रहित अंश हेतु यथा प्रयोज्य	

(घ) नोट 4 के पश्चात् निम्नांकित नोट जोड़ा जाएगा, यथा :

"मद III (एफ) (II) से (एफ) (IV) एवं (जी) में संदर्भित आवास ऋण में भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत मोर्टगेज गारंटी कंपनी के द्वारा गारंटीकृत ऐसे आवास ऋण को कोई भी अंश शामिल नहीं है।

राज विकास वर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 2012

सं. एन-15/13/1/5/2010-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जून, 2012 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95क तथा आंध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आंध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

"आंध्र प्रदेश राज्य में रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम् मण्डल के मनखल, सरदारनगर, राविराला, श्रीनगर, महेश्वरम्, सिरीगिरीपुरम्, गंगारम और तुम्मलुरू राजस्व गांवों की सीमा में आने वाले सभी क्षेत्र।"

एच. के. मेहता
उप-निदेशक (यो. एवं वि.)

बेंगलूर-560023, दिनांक 8 मई 2012

सं. उ.चि.आ/द.म./ए/19/11/2006.कर्ना.--क.रा.बी. निगम द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में जैसा कि दिनांक 25.04.1951 को इसकी सभा में निगम महानिदेशक के अधिकार पर विचार विमर्श करते हुए क.रा.बी. (सामान्य) अधिनियम, 1950 के अधिनियम 105 के अधीन किया गया और यह अधिकार चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी.निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली को समसंख्यक फाइल संख्या पी.टी. फाइल यू-13.12.13. 2005-पी.टी.एम.आर. (चिकि.-I) दिनांक 04.08.2008 के तहत सौंप दी गई तथा समसंख्यक मुख्यालय, क.रा.बी. निगम, नई दिल्ली आदेश प्राप्ति संख्या यू-13.12.13.2005 (चिकि.-I) पी.टी.एम.आर. दिनांक 09.09.2008 के तहत मुझे सौंप दी गई। मैं, एतद्द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर (डॉक्टरों) को चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में निम्नलिखित श्रेणी के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ जो निम्नलिखित दिनांक से लागू होते हुए एक वर्ष के लिए या 65 वर्ष की उम्र प्राप्त करने तक अथवा पूर्ण कालिक समय तक चिकित्सा निदेशी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, अधोहस्ताक्षरित द्वारा चिकित्सा परीक्षा व आगे चलकर उन्हें प्रमाण-पत्र पारित करने (जब मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदेहजनक हो) के उद्देश्य से कार्य करेंगे :--

नाम	अवधि		केन्द्र का नाम (स्थान/जिला/राज्य)
	से	तक (1 वर्ष)	
डॉक्टर रामय्या	04.5.2012	03.5.2013	बोम्मसान्द्र

बी. आर. कविशेट्टी
राज्य चिकित्सा आयुक्त (कर्ना.)

RESERVE BANK OF INDIA
(DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION)

Mumbai-400005, the 11th May 2012

No. DNBS.(PD) 243/CGM(US)-2012—The Reserve Bank of India, having satisfied that, in the public interest, and to enable the Bank to regulate the financial system of the country to its advantage, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998, in exercise of the powers conferred by sections 45J, 45JA, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said directions contained in Notification No. DFC. 118/DG(SPT)-98 dated January 31, 1998 shall stand amended with immediate effect as follows, namely—

Amendment of paragraph 4—

In paragraph 4, sub-paragraph (1), clause (ii), in the table, after item (d), the words, Brickwork Ratings India Pvt. Ltd. (Brickwork) shall be added in the name of the agency and in Minimum Investment Grade Rating BWR F A shall be added.

UMA SUBRAMANIAM
Chief General Manager In-Charge

No. DNBS.(PD) 244/CGM(US)-2012—The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial (Non-Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007, contained in Notification No. DNBS. 193/DG(VL)-2007 dated February 22, 2007, (hereinafter referred to as the said Directions), in exercise of the powers conferred by sections 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said Directions shall be amended with immediate effect as follows—

Amendment of paragraph 19A—

The existing clause (iii) shall be substituted with the following viz.,

"(iii) have obtained a minimum credit rating 'A' or equivalent of CRISIL, FITCH, CARE, ICRA, Brickwork Ratings India Pvt. Ltd. (Brickwork) or equivalent rating by any other credit rating agency accredited by RBI"

UMA SUBRAMANIAM
Chief General Manager In-Charge

No. DNBS(PD). 245/CGM(US)-2012—The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, hereafter referred to as Directions in exercise of the powers conferred by sections 45JA, 45K, 45L and 45M of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby amends the directions as specified below.

In part II, under para (1) a new para (4) may be added as follows :

Every CIC exempted from registration requirement with RBI shall pass a Board Resolution that it will not, in the future, access public funds. However CICs may be required to issue guarantees or take on other contingent liabilities on behalf of their group entities. Before doing so, all CICs must ensure that they can meet the obligation thereunder, as and when they arise. In particular, CICs which are exempt from registration requirement must be in a position to do so without recourse to public funds in the event the liability devolves, else they shall approach RBI for registration before accessing public funds. If unregistered CICs with asset size above Rs. 100 crore access public funds without obtaining a Certificate of Registration (CoR) from RBI, they will be seen as violating Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2011 dated January 05, 2011.

UMA SUBRAMANIAM
Chief General Manager In-Charge

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 28th May 2012

No. NHB.HFC.DIR.5/CMD/2012—In exercise of the powers conferred by section 30A of the National Housing Bank Act,1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and on being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing

finance system of the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 (hereinafter referred to as the principal Directions), shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely :—

1. Amendment of Paragraph 30

In paragraph 30 of the principal Directions, in the Explanation (1), in sub-explanation (3) for item c), the following shall be substituted, namely :—

"c) Other housing loans 100

Note : Housing loans referred to in item b) and c) above are excluding any portion of such housing loans guaranteed by a mortgage guarantee company registered with the Reserve Bank of India in accordance with the Reserve Bank of India Guidelines for Mortgage Guarantee Companies.

ca) Any portion of housing loans referred to in item b) and c) of sub-explanation (3) guaranteed by mortgage guarantee company registered with the Reserve Bank of India, the risk weighted assets for such guaranteed portion shall be calculated as % weight mentioned against the rating of the mortgage guarantee company as below :—

Long term ratings of the mortgage guarantee company by the approved credit rating agencie referred to in paragraph 3 of the principal Directions	
AAA	20
AA	30
Below AA or unrated	As applicable to unguaranteed portion

Where '+' or '–' notation is attached to the rating, the corresponding main rating category risk weight should be used. When a guaranteed exposure is classified as non-performing in accordance with the applicable directions, the guarantee will cease to be a credit risk mitigant and no adjustment would be permissible under this provision."

2. Amendment of Schedule II

In Schelule II of the principal Directions, in Part D,

(a) after item description, item code and risk weight given in III (g), the following shall be inserted, namely :—

"(ga) Any portion of housing loans referred to in item III (f) (ii) to (f)(iv) and (g) guaranteed by mortgage guarantee company registered with the Reserve Bank of India, the risk weighted assets for such guaranteed portion shall be calculated as % weight mentioned against the rating of the mortgage guarantee company as below : Long term ratings of the mortgage guarantee company by the approved credit rating agencies referred to in paragraph 3 of the principla Directions				
AAA	239(i)		20	
AA	239(ii)		30	
Below AA or unrated	239(iii)		As appiicable to unguaranteed portion"	

(b) after Note 4, the following Note shall be added, namely :—

"5. Housing loans referred to in item III (f)(ii) to (f)(iv) and (g) are excluding any portion of such housing loan guaranteed by a mortgage guarantee company registered with the Reserve Bank of India,"

R. V. VERMA
Chairman & Managing Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 22nd May 2012

No. N-15/13/1/5/2010-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st June, 2012 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following areas in the State of Andhra Pradesh namely :—

"All the areas falling within the Revenue Villages of Mankhal, Sardarnagar, Ravirala, Srinagar, Maheshwaram, Sirigiripuram, Gangaram and Tummaluru of Maheshwaram Mandal in Ranga Reddy District of Andhra Pradesh."

H. K. MEHTA
Dy Director (P&D)